

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/91059/GKP/GORAKHPUR/1117/CFO

दिनांक: 01-08-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ABC PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **0 DIVYA NAGAR KHORABAR, -, GORAKHPUR** तहसील - **SADAR**, प्लॉट एरिया **1373.45**

sq.mt, कुल कवर्ड एरिया **2835.76** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ABC PUBLIC SCHOOL	4	0	13.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ABC PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **02-08-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **HEMANT MISHRA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-08-2023** से **02-08-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **ABC PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ABC PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : FSO की संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है।

- 1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें।
- 2- नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा।
- 3-- स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें।
- 4-सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर आप स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।
- 5-FSO समय-समय पर माकड़िल में प्रतिभाग कर निरीक्षण करते रहे

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(JASVEER SINGH)

[89C53FD40E1570902F78776FE92F58F4E0B3D2E7]

03-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-08-2023
स्थान : GORAKHPUR